

न्यायालय— द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला—भिण्ड  
(समक्ष : पी०सी०आर्य)

सिविल अपील क्रमांक: 57/2014

संस्थापन दिनांक 25/11/2010

फाइलिंग नंबर-230303000832010

1. मोहरसिंह पुत्र भगवंत सिंह आयु 60 साल  
जाति कुशवाह निवासी ग्राम नीरपुरा (झांकरी)  
तहसील गोहद जिला भिण्ड  
.....वादी/अपीलार्थी

वि रू द्ध

1. श्रीमान मण्डल प्रबंधक महोदय,  
जिला सहकारी और ग्रामीण बैंक जिला भिण्ड म०प्र०
2. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय  
जिला सहकारी और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित  
भिण्ड शाखा कार्यालय मौ परगना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०
3. श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला भिण्ड म०प्र०
4. राजेन्द्र सिंह सैंगर प्रोपराईटर सिंह मशीनरी स्टोर  
कस्बा मौ तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र०  
.....प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण

न्यायालय—श्री सुशील कुमार व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—एक, गोहद द्वारा  
व्यवहार वाद क्रमांक—58/2007 ए०ई०दी० में पारित आदेश दिनांक  
29/10/2010 से उत्पन्न सिविल अपील।

वादी/अपीलार्थी द्वारा श्री एम०पी०एस० राणा अधिवक्ता।  
प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्रमांक 01 व 02 द्वारा श्री हरिशंकर शुक्ला अधिवक्ता।  
प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्रमांक 03 द्वारा श्री दीवान सिंह गुर्जर अधिवक्ता।  
प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्रमांक 04 द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

—::— निर्णय —::—

(आज दिनांक 15 अक्टूबर 2016 को खुले न्यायालय में पारित)

1. वादी/अपीलार्थी द्वारा यह अपील श्री सुशील कुमार व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक, गोहद द्वारा व्यवहारवाद क्रमांक—58ए/2010 ई०दी० में दि.—29/10/2010 को घोषित निर्णय से व्यथित होकर पेश की गयी है। जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलार्थी का मूल वाद खारिज किया है, जिसमें वादी ने खाता

क्रमांक 247/04-05 में से स्वयं के विरुद्ध की जा रही ऋण वसूली को अवैध घोषित करने की प्रार्थना की थी।

2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है, कि वादी/अपीलार्थी के द्वारा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित भिण्ड शाखा मौ तहसील गोहद जिला भिण्ड में कुआ पंप के लिए ऋण हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था। यह भी निर्विवादित है, कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 04 उक्त बैंक का डीलर है। यह भी स्वीकृत है, कि प्र०डी०-01 लगातय प्र०डी०-12 तक के दस्तावेजों पर वादी/अपीलार्थी के हस्ताक्षर हैं। यह भी स्वीकृत है, कि वादी/अपीलार्थी ने उक्त सिविल वाद की प्रस्तुति के पूर्व जिला उपभोक्ता प्रतितोषण फोरम में भी कार्यवाही की थी, जिसे दिनांक 30/03/05 को उसने वापिस ले लिया था।
3. विचारण न्यायालय में वादी/अपीलार्थी का वाद संक्षेप में इस प्रकार का रहा है कि वादी/अपीलार्थी ग्राम नीरपुरा (झांकरी) तहसील गोहद का रहने वाला है। वह गरीब और काश्तकार पैशा व्यक्ति है, उसने प्रतिवादी क्रमांक 02 के कार्यालय में वादप्रस्तुति दिनांक से करीब 6-7 साल पहले कुआ पंप के ऋण प्रदान करने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया था, परन्तु प्रतिवादी क्रं०-02 ने उक्त आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की और वादी/अपीलार्थी परेशान होकर शांत बैठ गया और उसने समझा कि उसका आवेदन निरस्त हो गया है। इस आशय के भी अभिवचन वादी/अपीलार्थी ने किए हैं, कि कुछ समय उपरांत सिंह मशीनरी स्टोर मौ तहसील गोहद के प्रोपराइटर राजेन्द्र सिंह सेंगर के द्वारा दिनांक 24/05/05 को एक चेक नंबर 023490, 20,000/-रुपये का वादी/अपीलार्थी को दिया, फिर दो-तीन महीने बाद प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्रं०-04 के द्वारा दूसरा चेक 50,000/-रुपये का दिनांक 16/08/05 को वादी को दिया गया, जिसका चेक क्रमांक 23278 था। जब वादी/अपीलार्थी को पहली बार चेक प्रतिवादी क्रमांक 04 ने दिया तो उसने उससे यह पूछा कि आप यह चेक क्यों दे रहे हो, तो प्रतिवादी क्रं०-04 ने यह बताया था कि उसका सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंक मर्यादित शाखा मौ के द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है जिसके बाद वादी/अपीलार्थी ने दोनों चेक प्राप्त कर लिए थे तथा वादी/अपीलार्थी ने दोनों चेकों को भुगतान के लिए जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित बैंक शाखा गोहद में लगाया जिसकी प्रावती उस दिनांक 30/01/06 को प्राप्त हुई तब बैंक द्वारा उसे यह बताया गया कि उक्त खाते में रुपये जमा नहीं हैं इसलिए चेकों का भुगतान नहीं हो पायेगा। वादी/अपीलार्थी कई बार प्रतिवादी क्रं०-02 के कार्यालय में गया और चक्कर लगाये परन्तु चेकों का भुगतान वादी/अपीलार्थी को नहीं हुआ, तब वादी ने जिला उपभोक्ता फोरम भिण्ड में मामला दायर किया जो विचाराधीन है, परन्तु उससे कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई, विचारण के दौरान इस आशय का भी अभिवचन किया कि जिला उपभोक्ता फोरम से विचाराधीन मामला दिनांक 08/09/08 को वापिस ले लिया गया है।
4. वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध कलैक्टर भिण्ड को भी शिकायत भेजी गई, जिस पर से कलैक्टर द्वारा जांच के लिए भी आदेश दिया गया और उक्त जांच में वादी का कथन दिनांक 05/10/06 को हुआ और पंचनामा

बनाया गया था, परंतु कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है और उसके बावजूद प्रतिवादी क्र०-02 वसूली के लिए प्रयत्नशील है। वादी/अपीलार्थी का यह भी कहना है, कि उसे इस संबंध में कोई जानकारी बैंक से नहीं मिली कि उसका ऋण कब स्वीकृत हुआ, किस मद के लिए स्वीकृत हुआ और ना ही उसे ऋण का भुगतान हुआ, परंतु उसके बावजूद भी प्रतिवादी क्र०-02 के द्वारा वादी/अपीलार्थी को दिनांक 23/03/07 को ऋण वसूली के लिए सूचना पत्र भेजा गया, जबकि वादी ने कोई ऋण लिया ही नहीं, इसलिए वह ऋण अदायगी के लिए उत्तरदायी नहीं है। वादी/अपीलार्थी द्वारा यह भी कहा गया है, कि प्रतिवादी क्र०-02 के द्वारा अपने कार्यालय में बैठकर वादी/अपीलार्थी के विरुद्ध ऋण स्वीकृति के संबंध में कूट रचित कार्यवाही की गई है, और वसूली की कार्यवाही भी कूटरचित है। इसलिए प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर वादी/अपीलार्थी ने स्वयं के विरुद्ध की जा रही ऋण वसूली को अवैध घोषित किये जाने की प्रार्थना की थी, जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज किया है जिसे चुनौती देते हुए वादी द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 58ए/2007 ई०दी० में घोषित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर अपास्त कर ऋण वसूली की कार्यवाही समाप्त किये जाने की प्रार्थना की है।

5. प्रकरण में प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्र०-01 व 02 द्वारा स्वीकृत तथ्यों के अलावा वादी/अपीलार्थी के समस्त अभिवचनों का विनिर्दिष्टतः प्रत्याख्यान करते हुए, लेख किया है कि, वादी/अपीलार्थी ने ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे स्वीकार कर, 1,25,000/-रुपये का ऋण स्वीकार किया गया और इसकी सूचना विधिवत वादी/अपीलार्थी को दी गई थी, वादी/अपीलार्थी लिये गए ऋण को चुकाने के लिए उत्तरदायी है। उनकी ओर से इस आशय की भी आपत्ति ली गई थी कि इस न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी क्र०-02 जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक म०प्र० सहकारी संस्था अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी संस्था है, इसलिए वादी/अपीलार्थी का वाद धारा-64 एवं 82 म०प्र० सहकारी संस्था अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रार सहकारी संस्थान के न्यायालय में ही चल सकता है। इसलिए वादी का वाद निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।
6. प्रतिवादी क्रमांक 03 प्रकरण में एकपक्षीय रहा है उसकी ओर से दावे का कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही कोई साक्ष्य प्रकरण में दी गई है। प्रतिवादी क्रमांक 04 की ओर से वादोत्तर प्रस्तुत करते हुए अभिवचन किया है कि उसने वादी/अपीलार्थी को बैंक ऋण स्वीकृति के संबंध में कोई चैक नहीं दिया बल्कि जो चैक दिये गये वह अलग हुए लेन देन से संबंधित है, और उक्त लेनदेन का इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। ऋण स्वीकृति के संबंध में चैक बैंक द्वारा डीलर को दिए जाते हैं, डीलर के द्वारा चैक नहीं दिए जाते हैं, प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्र०-04 ने यह भी बताया है, कि वादी का ऋण स्वीकृत होना था, और उसने डीलर के रूप में वादी/अपीलार्थी को डीजल पंप जनरेटर दिया था और उसके संबंध में वादी/अपीलार्थी से संपूर्ण सामान प्राप्ति की स्वीकृति भी प्राप्त की थी। इन सब तथ्यों की वादी/अपीलार्थी को जानकारी है, परंतु वह बैंक का ऋण अदा नहीं करना

चाहता, बेईमानी करना चाहता है, इसलिए झूठे तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी/प्रत्यर्थी कं०-04 का यह भी कहना है, कि वादी/अपीलार्थी द्वारा जो आवेदन कलैक्टर भिण्ड एवं अन्य विभागों में दिए गए थे उन सब में भी वादी का मामला असत्य पाया गया, इसलिए उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिए वादी/अपीलार्थी का वाद सत्य निरस्त किये जाने के प्रार्थना की है।

7. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वादप्रश्नों की रचना करते हुए विचारण करते हुए गुणदोषों पर दिनांक 29/10/10 को घोषित निर्णयानुसार वादी/अपीलार्थी का वाद निरस्त किया, जिससे व्यथित होकर उक्त प्रथम सिविल अपील वादी/अपीलार्थी की ओर से पेश कर यह आधार लिया है, कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिविधान के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है, प्रकरण में वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य की सही विवेचना नहीं की गई है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से निष्कर्ष निकालकर आलोच्य निर्णय घोषित करने एवं डिक्री पारित करने में वैधानिक भूल की है। वादी/अपीलार्थी के मौखिक साक्ष्य से यह स्पष्ट प्रदर्शित होता है, कि प्रतिवादी/प्रत्यर्थी कं०-04 ने वादी/अपीलार्थी से कोरे कागजों पर एक ही दिन हस्ताक्षर करा के वादी/अपीलार्थी के नाम से अवैधानिक रूप से तैयार किये गये ऋण प्रकरण की राशियों को फर्जी एवं बनावटी प्रकार से सामान की अदायगी कागजों पर दिखा कर हड़प ली है, इस महत्वपूर्ण तथ्य को भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअंदाज किया है। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है, कि उपरोक्त ऋण प्रकरण की कार्यवाही एक ही दिन में की गई जबकि उपरोक्त कार्यवाही एक ही दिन में चार अलग-अलग स्थानों भिण्ड, मौ, नीरपुरा और ग्वालियर पर की जाना कतई संभव नहीं है ऐसी स्थिति में उपरोक्त ऋण प्रकरण से संबंधित समस्त कार्यवाही कूटरचित एवं फर्जी प्रतीत होती है जिस पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है। वादी/अपीलार्थी ने यह भी आधार लिया है, कि उसने प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्रमांक 02 के कार्यालय में नवीन बोर (नलकूप) का खनन कराये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, किंतु वादी/अपीलार्थी के खेत में कोई बोर (नलकूप) निर्मित नहीं कराया गया है तथा प्रतिवादी द्वारा वादी को कोई राशि प्रदान नहीं की है, तथा प्र०पी०-02 पर प्रतिवादी ने कई स्थानों पर काटपीट करके उसे छल कपट एवं कूटरचित तरीके से तैयार करके वादी/अपीलार्थी के नाम से फर्जी ऋण प्रकरण तैयार किया है। वादी/अपीलार्थी ने यह भी आधार लिया है, कि जब उसके खेत में बोर ही नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में बिना बोर के 20 हॉर्स पावर की समरसिबल टोपलेण्ड मोटर और 150 फिट पाइप लाइन स्थापित किया जाना फर्जी प्रतीत होता है जिस पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया है। वादी/अपीलार्थी ने यह भी आधार लिया है, कि उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह सिद्ध है, कि दिनांक 30/03/05 को बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने उपरोक्त ऋण प्रकरण से संबंधित फाइल में कॉलम नं०-06 के द्वारा खसरे में बोरिंग का इंद्राज कराये जाने का निर्देश दिया था जिसका पालन किये बिना ही उक्त फर्जी ऋण प्रकरण तैयार किया गया तथा दिनांक 30/03/05 को भिण्ड में बैठक भी हो गई, उसी दिनांक को ऋण स्वीकृत भी हो गया और उसी दिनांक को सिंह मशीनरी स्टोर के प्रोपराइटर राजेन्द्रसिंह द्वारा कथित सामान भी अदा कर दिया गया और उसी



दिनांक को ग्वालियर स्थित बीमा कंपनी द्वारा उक्त सामान का बीमा भी कर दिया गया जो कि कतई संभव नहीं है। इसलिए उपरोक्त आधारों पर वादी/अपीलार्थी द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय व डिक्री दिनांक 29/10/2010 को निरस्त की जाकर मूल वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

8. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि –
1. “क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल वाद क्रमांक 58ए/2007 ई०दी० में दिनांक 29/10/2010 को घोषित निर्णय व डिक्री विधि एवं साक्ष्य के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने योग्य है ?”
  2. “क्या वादी/अपीलार्थी का मूल वाद डिक्री किये जाने योग्य है ?”

### निष्कर्ष के आधार

9. उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।
10. वादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक तर्कों में मूलतः इस बात पर बल दिया गया है, कि वादी/अपीलार्थी के द्वारा जो कि ग्रामीण गरीब कृषक है, उसने प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 से संबंधित बैंक में ऋण हेतु आवेदन किया था, किंतु उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया और वह चक्कर काटता रहा और परेशान होकर थक-हार के बैठ गया। उसके बाद प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 04 राजेन्द्रसिंह जिसकी मौ में सिंह मशीनरी स्टोर के नाम की दुकान है, उसने वादी/अपीलार्थी का ऋण स्वीकार कराने के लिए कहा और उसने वादी/अपीलार्थी के हस्ताक्षर करा लिये, तथा राशि बैंक कर्मियों से मिलकर हडप ली, जब उसे ऋण वसूली का नोटिस मिला, तब उसे यह ज्ञात हुआ, कि उसके नाम से 1,25,000/-रुपये का ऋण निकाल लिया है, जबकि उसे ना तो ऋण राशि प्राप्त हुई, ना सामान प्राप्त हुआ, ना उसके खेत पर जनरेटर पंप आदि लगाया गया, ना उसका कोई भौतिक सत्यापन हुआ, जिसके संबंध में जिला उपभोक्ता प्रतितोषण फोरम भिण्ड में कार्यवाही की गई थी, किंतु कोई कार्यवाही ना होने से ऋण वसूली की अवैध रूप से की जा रही कार्यवाही को निरस्त किये जाने हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया, जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बगैर ही जल्दबाजी में बगैर चिंतन के वादी/अपीलार्थी के ऋण आवेदन से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षरों की स्वीकारोक्ति के आधार पर वाद निरस्त कर दिया है, जबकि गंभीरता से दस्तावेजों का परीक्षण किया जाये तो, स्थिति विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्ष के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि ऋण राशि के संबंध में ओवर राईटिंग है, तथा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक-04 द्वारा प्र०पी०-09 एवं प्र०पी०-10 के जो चैक दिए गए थे, जिनका भुगतान नहीं हुआ, वे ऋण संबंधी बताकर भ्रमित करने को दिए गए अन्य कोई संव्यवहार प्रत्यर्थी/प्रतिवादी राजेन्द्रसिंह का वादी/अपीलार्थी से नहीं था। इसलिए अपील स्वीकार की जाये और वसूली कार्यवाही को निरस्त किया जाये।

11. इस संबंध में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 की ओर से उनके विद्वान

अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है, कि वादी/अपीलार्थी ने ऋण हेतु बैंक में आवेदन दस्तावेजों को प्राप्त करते हुए दिया था, जो विधिवत कार्यवाही करके स्वीकृत हुआ और वादी/अपीलार्थी को 1,25,000/-रुपये ऋण स्वीकृत किया गया था, जिसके तहत जनरेटर, डीजल पंप वादी/अपीलार्थी के खेत में स्थापित हुआ था। जिससे संबंधित दस्तावेज है, उन पर वादी/अपीलार्थी के हस्ताक्षर भी है और ऋण विधिवत आवेदन के साथ कुटेशन प्राप्त होने पर स्वीकार हुआ था। इसलिए वादी/अपीलार्थी का कूटरचित दस्तावेज होने और धोखा-धड़ी के संबंध में किया गया आक्षेप बेबुनियाद है, क्योंकि वादी/अपीलार्थी ने इस संबंध में कलेक्टर भिण्ड को की गई शिकायत झूठी पाई गई थी और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत निष्कर्ष निकालते हुए वादी/अपीलार्थी का वाद उचित रूप से निरस्त किया है। इसलिए अपील बेबुनियाद होने से सब्यय निरस्त की जाये।

12. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 03 शासन की ओर से विद्वान ए0जी0पी0 श्री दीवान सिंह गुर्जर ने अपने तर्कों में यह बताया है, कि प्रकरण में शासन की कोई भूमिका नहीं है और शासन को अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है। इसलिए वादी/अपीलार्थी की अपील निरस्त करते हुए शासन को हर्जा दिलाया जाये।

13. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक-04 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने अपने मौखिक तर्कों में मूलतः यह बताया है, कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक-04 प्रतिवादी बैंक का डीलर है उसके द्वारा वादी की मांग पर कुटेशन दिया गया था। जो उसने ऋण आवेदन के साथ बैंक में प्रस्तुत किया था। बैंक से ऋण स्वीकृत होने के पश्चात बैंक के निर्देशानुसार वादी/अपीलार्थी को जनरेटर इंजन प्रदान किया गया था, जिसकी प्राप्ति ली गई थी और उसे संस्थापित भी कराया गया था, उसका भौतिक सत्यापन हुआ था। वादी/अपीलार्थी के आक्षेप असत्य और मनगढ़ंत होकर ऋण हड़पने के आशय से किया गया है, तथा प्र0पी0-09 एवं प्र0पी0-10 के जो चैक वादी/अपीलार्थी को दिया गये थे, वह पूर्व के अन्य संव्यवहार से संबंधित है, विवादित ऋण से संबंधित नहीं है, इसलिए अपील में कोई बल नहीं है, और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय विधि सम्मत है, तथा उसे भी प्रकरण में अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है, इसलिए अपील सब्यय निरस्त की जाये।

14. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के मौखिक तर्कों पर चिंतन, मनन किया गया, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर आई साक्ष्य और दस्तावेजों का अध्ययन किया गया, वाद की प्रकृति पर भी विचार किया गया वादी/अपीलार्थी के द्वारा पूर्व निर्णित सिविल वाद क्रमांक 58ए/2007 ई0दी0 निर्णय दिनांक 29/10/2010 को चुनौती देते हुए कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर ऋण बैंक के अधिकारी कर्मचारियों और प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्र०-04 की मिली भगत से उसके नाम से ऋण स्वीकृत कराके उसे हड़प लेने कोई राशि व सामान प्रदान ना करने के आधार पर मूलवाद प्रस्तुत किया गया था। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है, कि जहां दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य पेश की जाती है, वहां अभिलेख पर आई संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, इस संबंध में न्याय दृष्टांत ग्याराम विरुद्ध सीताबाई 1954 भाग-01 एम0पी0जे0आर0 पेज-148 में दिया मार्गदर्शन अवलोकनीय है,

विचाराधीन मामले में भी इस न्यायालय की हैसियत प्रथम अपीलीय न्यायालय की है, इसलिए प्रथम अपीलीय न्यायालय को निष्कर्ष निकालने के लिए साक्ष्य का मूल्यांकन करना होता है। इसलिए विचाराधीन प्रथम सिविल अपील में उक्त सिद्धांत का पालन करना होगा और संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा वाद की म्याद के संबंध में उभय पक्ष की ओर तर्क नहीं किये गये हैं तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने मूल वाद अवधि भीतर माना है उसके बाबत कोई अतिरिक्त निष्कर्ष देने की आवश्यकता नहीं है।

15. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन करने पर यह विदित है, कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय मुताबिक वादी का वाद जो कि ऋण वसूली हेतु प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 02 की ओर से दिए गए सूचनापत्र 23/03/07 पर आधारित था, उसे अस्वीकार करते हुए वाद निरस्त किया है और यह निष्कर्षित किया है, कि वादी/अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 से संबंधित बैंक की मौ स्थित शाखा में ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन दिया था, जो कि स्वीकृत तथ्य है और उक्त वादप्रश्न को निर्मित करने की भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वादी/अपीलार्थी का मूल वाद इसी आधार पर है, कि उसने ऋण हेतु आवेदन तो दिया था, किंतु उसका आवेदन स्वीकार नहीं हुआ और वह चक्कर लगाकर परेशान होकर थक, हारकर बैठ गया था, फिर प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 04 ने उससे ऋण स्वीकृत करने की बात कहते हुए कार्यवाही की और उसके दस्तावेजों पर हस्ताक्षर बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत से करा लिए। इसलिए उक्त सिविल में मूलतः यह देखना होगा कि क्या वादी/अपीलार्थी के द्वारा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी से संबंधित बैंक में जो ऋण हेतु आवेदन दिया गया था, वह विधि अनुरूप स्वीकृत हुआ और विधि अनुसार ही उसकी कार्यवाही संचालित हुई और वास्तव में ऋण का कोई लाभ वादी/अपीलार्थी को प्राप्त हुआ या नहीं, जिसके संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के वादप्रश्न क्रमांक 02 एवं 03 के निष्कर्ष में सकारात्मक रूप से इस आशय का निष्कर्ष आया है, कि वादी/अपीलार्थी का ऋण विधिवत स्वीकार हुआ विधिवत वादी को उसकी सूचना दी गई और ऋण स्वीकृति के पश्चात डीजल पंप, जनरेटर आदि सामान भी वादी/अपीलार्थी को प्राप्त हुआ। इस आधार पर उसे ऋण का उत्तरदायी मानते हुए, उसका वाद निरस्त किया गया है।

16. उक्त मामले में वादी/अपीलार्थी का मूल आधार ऋण संबंधी कार्यवाही में दस्तावेजों की कूटरचना को लेकर किया गया है, कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 04 राजेन्द्रसिंह ने बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों से मिलकर उसके नाम से ऋण निकाल लिया, उसे ना तो ऋण राशि नगद रूप से प्राप्त हुई, ना कोई सामान प्राप्त हुआ। इसलिए वह ऋण वसूली के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस तरह से दस्तावेजों के बारे में कपट एवं कूटरचना का आधार लिया गया है और किसी दस्तावेज के बारे में कपट का आधार लेने वाले पक्षकार पर ही उसे साबित करने का भार होता है, जैसा कि न्याय दृष्टांत **विजय कुमार ताम्रकार विरुद्ध श्रीमती शांति सिंह 1993 भाग-02 एम0पी0डब्लू0एन0 शॉर्टनोट-155** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसलिए कूटरचना व छल के आधारों को सुदृढ़ व विश्वसनीय साक्ष्य से स्थापित व प्रमाणित करने का भार वादी/अपीलार्थी पर ही

होगा।

17. वादी/अपीलार्थी मोहर सिंह वा०सा०-01 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में प्र०पी०-01 लगायत प्र०पी०-14 के दस्तावेजों को पेश करते हुए, इस आशय की साक्ष्य दी है, कि उसने कथन दिनांक 06/04/10 के करीब 7-8 वर्ष पूर्व प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 02 की मौ स्थित शाखा में कुआ पंप हेतु ऋण के लिए आवेदन दिया था, किंतु उसके आवेदन पर कोई विचार नहीं हुआ और हैरान परेशान होकर वह शांत रह गया, उसके बाद प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 04 प्रोपराइटर सिंह मशीनरी स्टोर मौ ने उसके पास आकर दिनांक 24/05/05 को प्र०पी०-09 व प्र०पी०-10 के चैक जो क्रमशः 20,000/-रुपये और 50,000/-रुपये के थे, उसे दिए, जिनके बारे में पूछने पर उसे बताया गया कि उसका ऋण स्वीकृत हो गया है और उसी के चैक हैं, जो चैक उसने बैंक में जमा किए थे, तो खाते में रुपये ना होने से चैक का भुगतान नहीं हुआ था, जिसके संबंध में उसने जिला उपभोक्ता फोरम भिण्ड में कार्यवाही की थी, किंतु कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, फिर उसने दावा पेश किया। इस तरह से वादी/अपीलार्थी प्र०पी०-09 एवं प्र०पी०-10 के चैक ऋण के एवज में प्राप्त होना कहता आया है। उसकी बात का समर्थन योगेन्द्रसिंह वा०सा०-02 ने अपने मुख्य परीक्षण में किया है, किंतु वह प्रतिपरीक्षण में समर्थनकारी नहीं रहा है, क्योंकि उसे ऋण के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और ऋण की कार्यवाही उसकी जानकारी में या उसकी सलाह से वादी/अपीलार्थी द्वारा करना नहीं बताया गया है, बल्कि वा०सा०-02 ने स्वयं भी बैंक से ऋण लेना स्वीकार किया है, और प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 04 राजेन्द्रसिंह से ही प्राप्त होना बताते हुए, इस बात की भी स्वीकारोक्ति की है, कि राजेन्द्रसिंह ने उसके साथ कोई छल-कपट नहीं किया।
18. प्र०पी०-09 एवं प्र०पी०-10 के दोनों चैकों को वा०सा०-02 अपने सामने अवश्य देना बताता है, किंतु वा०सा०-02 के मुताबिक दोनों चैक एक साथ नहीं दिए गए, एक ही महीने में अवश्य दिए गए थे, जबकि स्वयं वादी/अपीलार्थी दोनों चैक एक साथ देना बताता है, जो दोनों चैक प्र०पी०-09 एवं प्र०पी०-10, प्र०पी०-11 के ज्ञापन के साथ बैंक द्वारा आउट डेटेड अर्थात् समय अवधि निकल जाने के बाद प्रस्तुत किए जाने के आधार पर वापिस होना परिलक्षित होता है, ना कि खाते में राशि ना होने के आधार पर, जैसा कि वादी/अपीलार्थी का कहना है और प्र०पी०-09 का चैक दिनांक 24/05/05 का है, तथा प्र०पी०-10 का चैक दिनांक 16/08/05 का है, दोनों एक ही दिनांक के नहीं है और चैक में इस आशय की शर्त अंकित है, कि चैक जारी दिनांक से 3 माह तक वैध रहेगा। प्र०पी०-11 के बैंक के ज्ञापन मुताबिक दिनांक 30/01/06 को चैक प्रस्तुत किये गए इसलिए उन्हें आउट डेटेड होने से वापिस किया गया है। दोनों चैक प्रत्यर्थी क्रमांक 04 के चालू खाता क्रमांक 54 को जारी किए गए थे, दोनों चैक विवादित ऋण से संबंधित होना परिलक्षित नहीं होता है, क्योंकि वादी/अपीलार्थी के द्वारा ऋण हेतु प्र०डी०-02 का जो आवेदन पेश किया गया था वह दिनांक 22/03/05 का है, प्र०डी०-01 का सदस्यता हेतु आवेदन भी उक्त दिनांक का ही है और प्र०डी०-03 मुताबिक जो बैंक की नोटशीट है, उसके अनुसार ऋण दिनांक 30/03/05 को स्वीकृत हुआ, तत्पश्चात ऋण से संबंधित कार्यवाही अग्रसर हुई, ऋण 1,25,000/-रुपये पंप एवं जनरेटर हेतु स्वीकृत किए गए थे,



जिसमें जनरेटर 25 के०व्ही०ए० कीमत 70,000/-रूपये संबरसीबल पंप 20 एच०पी० कीमत 45,000/-रूपये एवं पाइप लाइन 150 फिट कीमत 10,000/-रूपये के लिए स्वीकृत हुआ और ऋण की अपेक्षाओं की प्राप्ति वादी/अपीलार्थी से कराये जाने की भी नोटशीट में प्रविष्टि है, तथा सिंह मशीनरी स्टोर को उक्त स्वीकृत ऋण की राशि पाइपलाइन, जनरेटर, संबरसीबल पंप संस्थापित हो जाने पर और चालू हो जाने पर उपयोगिता प्रमाणपत्र व कृषक की संतुष्टि का पत्र प्राप्त हो जाने पर प्रदान किया गया था, जिससे संबंधित दस्तावेज प्र०डी०-01 लगायत प्र०डी०-12 के रूप में अभिलेख पर है, जिसमें संस्थापित की गई मशीनरी का बीमा भी कराया गया है। सभी दस्तावेजों पर वादी/अपीलार्थी के हस्ताक्षर स्वीकृत है, सभी एक ही दिनांक के नहीं हैं, इसलिए वादी/अपीलार्थी का यह कहना कि सारे दस्तावेजों पर एक ही दिन हस्ताक्षर करा लिए गए, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता और इस संबंध में वादी/अपीलार्थी की मौखिक साक्ष्य के वनस्पत प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत की गई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य अधिक प्रबल है।

19. प्र०पी०-09 एवं प्र०पी०-10 के चैक खाते में राशि ना होने के आधार पर वापिस नहीं हुए हैं, बल्कि समय अवधि निकल जाने के बाद प्रस्तुतिकरण के आधार पर वापिस किया गया था, दोनों चैक की राशि और ऋण राशि में भी समानता नहीं है, समय अवधि भी भिन्न है, तथा दोनों चैकों में अन्य कोई विवरण नहीं है, कि वे किस पेटे दिए गए। वादी/अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी/प्रतिवादी राजेन्द्रसिंह दोनों ही मौ क्षेत्र के निवासी हैं, पहले से एक दूसरे को जानते हैं, जैसा कि उनकी मौखिक साक्ष्य में भी आया है और वादी/अपीलार्थी कृषक है, प्रत्यर्थी/प्रतिवादी राजेन्द्रसिंह प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 की बैंक का डीलर होकर कृषि उपकरणों का बिक्रेता है, ऐसे में उनके पूर्व से संव्यवहार होने की बात को सिर से खारिज नहीं किया जा सकता है, जैसा कि राजेन्द्र सिंह प्र०सा०-02 ने अपने अभिसाक्ष्य में बताया है। इसलिए वादी/अपीलार्थी की यह साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, कि ऋण स्वीकृत बताते हुए, उसे प्रत्यर्थी/प्रतिवादी राजेन्द्रसिंह ने प्र०पी०-09 एवं प्र०पी०-10 के चैक दिए थे। वादी/अपीलार्थी ने चैकों को प्राप्त करने पर बैंक से संपर्क भी नहीं किया, कि दोनों चैक किस प्रयोजन के हैं। प्र०डी०-01 लगायत प्र०डी०-12 के रूप में जो दस्तावेज प्रत्यर्थी/प्रतिवादी पक्ष की ओर से पेश हैं, जिन्हें वादी/अपीलार्थी कूटरचित अवश्य कहता है, किंतु किस आधार पर उन्हें कूटरचित माना जाए, इस संबंध में कोई सूदृढ साक्ष्य नहीं देता है, इसलिए उसके साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है और उसकी ओर से किया गया यह तर्क, कि उसे कोई ऋण राशि या सामान प्राप्त नहीं हुआ, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सहकारी बैंक भी एक स्वायत्तशासी संस्था है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है। ऐसे में बैंक की कार्यवाही को कूटरचित नहीं माना जा सकता, तथा वादी/अपीलार्थी ने किसी व्यक्ति विशेष पर बैंक के कर्मचारी या अधिकारी की हैसियत से प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 04 राजेन्द्रसिंह से मिली भगत करके दस्तावेजों की कूटरचना की जाना आक्षेपित नहीं किया है। इसलिए उसका आक्षेप औपचारिक स्वरूप का ही रह जाता है, जबकि जो जनरेटर, संबरसीबल पंप, पाइप लाइन आदि संस्थापित की गई, उसकी उपयोगिता का प्र०डी०-09 का प्रमाणपत्र प्र०डी०-07 एवं प्र०डी०-08 उससे संबंधित कराये गये बीमा के दस्तावेज हैं, प्र०डी०-11 संतुष्टिपत्रक

है। ऐसे में वादी/अपीलार्थी का यह कहना, कि वास्तव में कोई वस्तु संस्थापित ही नहीं हुई, उसे विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

20. जहां तक वादी/अपीलार्थी के दस्तावेजों का प्रश्न है, जसके संबंध में यह तर्क किया गया है, कि उसके दस्तावेजों को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अवलोकन में नहीं लिया है, यह भी स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि प्र०पी०-01 दावा पूर्व धारा-80 सी०पी०सी० के तहत दिए गए नोटिस का मसौदा तथा प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाने की रशीदें प्र०पी०-02 लगायत प्र०पी०-04 हैं, जो कि औपचारिक हैं और धारा-80 सी०पी०सी० के तहत राज्य शासन को नोटिस दिए जाने का प्रावधान है, मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए उक्त नोटिस का कोई विधिक महत्व नहीं है और प्रकरण में राज्य शासन अवश्य पक्षकार की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि राज्य सरकार का विषय वस्तु से कोई प्रत्यक्ष सरोकार ही नहीं है। ऐसे में मध्यप्रदेश शासन प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक-03 को अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया जाना पाया जाता है।
21. प्र०पी०-05 के रूप में स्वीकृत ऋण का मांग सूचनापत्र है, जिसमें मांग की गई राशि के विवरण को दर्शाया गया है। प्र०पी०-07 पंचनामा, प्र०पी०-09 व प्र०पी०-10 के चैकों के संबंध में ग्राम पंचायत झांकरी के सरपंच द्वारा दिया गया, जिसकी विषय वस्तु के संबंध में कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि पंचनामे के आधार पर ऋण संबंधी बैंक के संव्यवहार को चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्र०पी०-14 आवेदनपत्र है, जो वादी/अपीलार्थी द्वारा को दिया गया था, वह ऋण के संबंध में ना होकर प्र०पी०-09 एवं प्र०पी०-10 के चैकों के भुगतान को लेकर दिया गया था, जिसमें उल्लेखित विवरण को वादी/अपीलार्थी मोहरसिंह वा०सा०-01 सही बताता है। प्र०पी०-14 ऋण को लेकर कोई आक्षेप नहीं किया गया है, जबकि वह आवेदन दिनांक 28/11/05 को दिया गया था, तथा उसमें वादी/अपीलार्थी जिस तरह का आक्षेप लेकर आया है, उसे देखते हुए प्र०पी०-14 में इस आशय का उल्लेख करना चाहिए था, कि दोनों चैक ऋण के एवज में उसे प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक-04 द्वारा दिए गए, ऐसा उल्लेख ना करने से वादी के वाद आधार को निर्बलता प्राप्त होती है।
22. प्र०पी०-12 के रूप में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम भिण्ड में जो आवेदन किया गया था, उसके आदेश की नकल है, जिसमें उसका आवेदन इस आधार पर निरस्त किया गया कि, आवेदन की प्रकृति सिविल वाद की है, सिविल वाद की अनुमति के साथ आवेदन निरस्त किया गया, ना कि वादी/अपीलार्थी द्वारा वापिस लिया गया, जैसा कि वह साक्ष्य देता है, इससे वादी/अपीलार्थी की मौखिक साक्ष्य दस्तावेजों के प्रतिकूल होकर यह इंगित करती है, कि वादी/अपीलार्थी स्वच्छता से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है।
23. वादी/अपीलार्थी द्वारा इस बात पर भी अधिक बल दिया गया है, कि उसके नाम से गलत कर्ज स्वीकृत करके राशि निकाल लेने के संबंध में कलेक्टर भिण्ड को शिकायत की गई थी और जांच हुई थी, की गई शिकायत प्र०पी०-13 के रूप में पेश की गई है, जिसमें कलेक्टर भिण्ड द्वारा मैनेजर भूमि विकास बैंक को जांच कर

आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिस पर से जांच भी हुई थी और जांच के संबंध में जांच अधिकारी के द्वारा वादी/अपीलार्थी को प्र०पी०-06 का नोटिस दिया गया था, वादी/अपीलार्थी जांच में कथन होना भी बताता है, जो कथन वह प्र०पी०-08 के रूप में देना कहता है, किंतु प्र०पी०-08 के कथन पर प्र०पी०-06 के जांच अधिकारी के कोई हस्ताक्षर या पदनाम अंकित नहीं है, बल्कि सरपंच के हस्ताक्षर है, जिससे यह परिलक्षित होता है, कि वादी/अपीलार्थी ने उक्त कथन स्वयं लिखकर दस्तावेज के रूप में पेश किया है। इसलिए प्र०पी०-08 को जांच कथन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता और उसकी कोई विधिक मान्यता नहीं रह जाती है।

24. मौखिक साक्ष्य को देखा जाये तो स्वयं वादी/अपीलार्थी मोहरसिंह वा०सा०-01 ने यह स्वीकार किया है, कि उसने अपने खेत में पानी देने हेतु बोर के लिए एक जनरेटर मोटर के लिए ऋण हेतु आवेदन बैंक में दिया था, लेकिन वह 1,25,000/-रुपये का ऋण स्वीकृत होने के बारे में जानकारी का अभाव बताता है। एक ही दिन सभी हस्ताक्षर बैंक में कराये जाना कहता है, लेकिन हस्ताक्षर किसने कराये इस बारे में वह स्थिति स्पष्ट नहीं करता है। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक-04 को अन्य लोगों के यहां डीलर के रूप में आत-जाते रहने के आधार पहचानने की बात बताता है। वादी/अपीलार्थी कक्षा आठवीं तक पढ़ा-लिखा है, अर्थात् वह हिन्दी पढ़ना लिखना जानता है, ऋण आवेदन पर उसका छायाचित्र लगा है और उसके द्वारा प्र०डी०-01 लगायत प्र०डी०-12 के दस्तावेजों में हस्ताक्षरों को स्वीकार किया गया है। इसलिए उक्त दस्तावेजों के विवरण में कूटरचना को प्रमाणित करने का भार उसी पर था, जिसके बाबत उसकी साक्ष्य में ऐसे तथ्य नहीं आए हैं, जो कि दस्तावेजों को खण्डित करते हों और यह सुस्थापित विधि है, कि दस्तावेजी साक्ष्य के विरुद्ध मौखिक साक्ष्य विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती है, जैसा कि न्याय दृष्टांत **हेमराज विरुद्ध बलभद्र 1991 भाग-01 एम०पी०डब्लू०एन० शॉर्टनोट-186** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है, जो प्रकरण में इस कारण लागू किए जाने योग्य है, कि प्र०पी०-01 लगायत प्र०पी०-12 के दस्तावेज वादी/अपीलार्थी की मौखिक साक्ष्य से खण्डित नहीं होते हैं।

25. सिविल मामलों के संबंध में यह भी सुस्थापित विधि है, कि प्रत्येक सिविल मामले का निराकरण प्रबल संभावनाओं के संतुलन के आधार पर किया जाता है, ना कि संदेह के आधार पर और विचाराधीन मामले में जो प्रबल संभावनायें उभर कर आई हैं, उससे वादी द्वारा ऋण हेतु बैंक में दिए गए आवेदनपत्र से ऋण स्वीकृत होना, डीलर के माध्यम से सामान सप्लाई होना और उन्हें वादी/अपीलार्थी के यहां संस्थापित किया जाना, वादी/अपीलार्थी की संतुष्टि के बाद भुगतान होना पाया जाता है। इसलिए वादी/अपीलार्थी का यह कहना, कि उसे कोई सामान प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 04 से प्राप्त नहीं हुआ, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस बारे में कोई सुदृढ़ साक्ष्य नहीं है, वा०सा०-02 को तो तथ्यों का पता ही नहीं है, जबकि वा०सा०-01 को यह जानकारी है, कि राजेन्द्रसिंह जो बैंक का डीलर है, बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत होने पर डीलर द्वारा सामान दिया जाता है, तथा वह संतुष्टिपत्रक पर तक पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर रहा है। ऐसे में वाद आधार स्वतः ही खण्डित हो जाता है और लिखित तर्कों में दस्तावेजों के संबंध में ली गई आपत्तियां कोई महत्व नहीं रखती हैं।

26. जहां तक 7,750/-रुपये वादी/अपीलार्थी से जमा कराना प्रत्यर्थी/प्रतिवादी बैंक द्वारा बताया गया है, उसके बाबत प्र०डी०-03 की नोटशीट में उल्लेख है, बुक नंबर और रशीद क्रमांक ऐसी स्थिति में पेश ना होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं माना जा सकता है। स्वीकृत ऋण का बैंक द्वारा जनरेटर चालू होकर, उपयोगिता प्रमाणपत्र, संतुष्टि पत्रक के बाद दिनांक 25/08/05 को चेक क्रमांक 023092 के द्वारा जारी किया गया है। ऐसे में प्र०डी०-03 की नोटशीट को देखते हुए ऋण स्वीकृति में दस्तावेजों की कूटस्थता परिलक्षित नहीं होती है।

27. यहां यह भी उल्लेखनीय है, कि डीजल पंपसेट की फिटिंग और संस्थापन मैकेनिक सहजाद खां द्वारा किया जाना बताया गया है, उसके संबंध में भी वादी/अपीलार्थी का खण्डन नहीं है, यदि संस्थापन नहीं हुआ था तो सहजाद खां को वादी साक्ष्य में तलब कर अभिसाक्ष्य करा सकता था, जो नहीं कराई गई। इससे भी वादी/अपीलार्थी के विरुद्ध इस आशय की प्रतिकूल उपधारणा निर्मित होती है, कि ऋण की सामग्री उसे प्राप्त हुई थी। जहां तक यह तर्क किया गया है, कि किशतों के बारे में और ऋण किस प्रकार से अदा होगा, इस बाबत प्र०डी०-04 में कोई उल्लेख नहीं है, जो कि ऋण स्वीकृति का आदेश है, यह भी दस्तावेज के प्रतिकूल तर्क है, क्योंकि प्र०डी०-04 ऋण स्वीकृति आदेश में ऋण राशि, ब्याज दर, अदायगी की शर्तों का स्पष्ट विवरण अंकित है, तथा बैंक द्वारा कोई ऋण स्वीकृत किए जाने पर जिस सम्पत्ति को बंधक रखा जाता है, उसका बंधक विलेख भी निष्पादित किया जाता है और इस मामले में भी प्र०डी०-05 का बंधक विलेख बैंक और वादी/अपीलार्थी के मध्य निष्पादित है, जिसमें स्वीकृत ऋण के भुगतान की शर्तों का स्पष्ट उल्लेख है। शर्त क्रमांक 01 में ही यह उल्लेखित किया गया है, कि ऋण का 09 समान वार्षिक किशतों में भुगतान किया जाएगा और किशत की राशि 22,190/-रुपये का भी उल्लेख है। जो भूमि बंधक रखी गई उसका भी उक्त विलेख में स्पष्ट उल्लेख है। ऐसी स्थिति में वादी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत की गई उक्त प्रथम सिविल अपील में लिए गए आधार और उठाए गए बिन्दुओं कोई विधिक बल नहीं है। इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद निरस्त करने में विधि संबंधी या तथ्य संबंधी कोई भूल या त्रुटि किया जाना नहीं माना जा सकता है।

28. वादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित व मौखिक तर्कों के समर्थन में न्याय दृष्टांत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विरुद्ध प्रजापत सिंह 2001 भाग-02 एम०पी०डब्लू०एन० शॉर्टनोट-131** को पेश किया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिभूतिपत्र (Guarantee Deed) के संबंध में यह मार्गदर्शन दिया है, कि प्रतिभूति की रकम के बारे में आवश्यक अपेक्षित प्रविष्टियों का प्रतिभूतिपत्र में उल्लेख ना होने पर, ऐसे विलेख को पवित्र और विधिमान्य नहीं माना जा सकता है, जो कि गारंटर (प्रतिभूतिकर्ता) के संदर्भ में दिया गया है। न्याय दृष्टांत के मामले में विचारण न्यायालय द्वारा बैंक का वाद निरस्त किया गया था, जिसकी अपील बैंक की ओर से की गई थी, जिसमें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को उचित ठहराया गया था, क्योंकि दस्तावेज उचित रूप से निष्पादित नहीं माने गये थे। जबकि हस्तगत अपील में ऋण संबंधी दस्तावेज उचित रूप से निष्पादित है और वर्तमान मामला गारंटर से संबंधित नहीं है, बैंक और ऋणगृहिता के मध्य का है, इसलिए प्रस्तुत न्याय



दृष्टांत का वादी/अपीलार्थी को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है।

29. इस प्रकार से उपरोक्त समग्र साक्ष्य, तथ्यों, परिस्थितियों का विधिक दृष्टि से क्रमवार किए गए विश्लेषण के आधार पर इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है, कि ऋण वसूली की कार्यवाही को किसी भी दृष्टि से अवैध या अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साररूप में वादी/अपीलार्थी के वाद को निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः प्रस्तुत की गई प्रथम सिविल अपील बलहीन पाते हुए निरस्त की जाकर आलोच्य निर्णय के अंतिम निष्कर्ष को यथावत रखा जाता है।
30. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए उभय पक्ष अपना-अपना प्रकरण व्यय स्वयं वहन करेंगे, जिसमें अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर या तालिका मुताबिक जो भी कम हो वह जोड़ा जावे।

तदनुसार अपील खारिजी की डिक्री तैयार की जावे।

दिनांक- 15 अक्टूबर 2016

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी0सी0आर्य)  
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

(पी0सी0आर्य)  
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड